—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 37/2019

उनवान

1. देवेन्द्र
2. प्रदीप पि. रामकुंवार जाति जाट निवासी ग्राम मोडी, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवकता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड

बनाम

1. मानी पत्नी जीवण,
2. रामचन्द्र पि0 जीवण,
3. काना,
4. गोपी,
5. भींया पि0 रेवंता जाति गुर्जर नि. लवेरा, नसीराबाद,
6. उगमा पुत्र बलदेव जाति जाट नि. मोडी, नसीराबाद,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार
8. मैनेजर बैक आफॅ बडौदा शाखा बीर

——— प्रतिवादीगण :— 2 जरियें अधिवक्ता श्री शिवजीराम गुर्जर
7 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

—: निर्णय :— दिनांक :— 27.5.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवेरा में स्थित आराजी वादीगण की कयशुदा खातेदारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
737	4—0—0	934	0.33
		935	0.22
		936	0.10
739 मिन	4—0—0	936/2712	0.08
		937	0.17
739 मिन	4—16—10	938	0.24
		939	0.37
		1966	0.16

उक्त आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 737 रकबा 4—0—0, 739 रकबा 4—0—0 व 739 रकबा 4—16—10 वादीगण ने जरियें पंजीकृत [illegible] पत्र तत्कालीन खातेदार छोटी पत्नी रेंवता, रतन, काना, नारायण, [illegible] से [illegible] कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। उक्त विकय पत्र की पालना [illegible] के पक्ष में की गयी थी। कय दिनांक से ही वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। [illegible] आराजी

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:19:21 IST
Reason: SelfAttested

वंर्किग जमाबंदी में सहवन से उगमा पुत्र बलदेव, जीवन, काना, गोपी, भियां पि. रेवंता, रेवंता पि. गोदा के नाम दर्ज होने के कारण जरियें मिसल संख्या 213/86 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर निर्णय दिनांक 31.01.1987 के अनुसार पुनः विक्रेतागण के पति/पिता के नाम के नाम दर्ज की गयी व नामान्तकरण संख्या 210 दिनांक 27.07.04 जरियें विरासत विक्रेतागण के नाम दर्ज कर मुताबिक निर्णय न्यायालय अपर कलक्टर ,अजमेर के प्रकरण संख्या 2/2002 निर्णय दिनांक 12.03.03 की पालना में श्रीमान तहसीलदार नसीराबाद द्वारा सम्बन्धित पक्षकारों को सुनने के बाद उक्त आराजी क्रेतागण के पक्ष में तहसीलदार नसीराबाद के पत्र क्रमांक 1288 दिनांक 26.05.04 की पालना में नामान्तकरण संख्या 210 दिनांक 27.07.04 द्वारा वंर्किग जमाबंदी में की गयी। आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। हाल राजस्व अभिलेख के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 6 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करा जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 2 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण विचारण के दौरान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी संख्या 8 को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किया गया।

राज. पैराकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावल पर उपलब्धविक्रय पत्र अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 737 रकबा 4–0–0, 739 रकबा 4–0–0 व 739 रकबा 4–16–10 वादीगण ने जरियें पंजीकुत विक्रय पत्र तत्कालीन खातेदार छोटी पत्नी रेंवता, रतन, काना, नारायण, गोपाल पि. रेवंता से क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। वंर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 737 रकबा 4–0–0 सहवन से उगमा पुत्र बलदेव जाति जाट के नाम व ख़सरा नम्बर 739 रकबा 4–0–0 रेवता पुत्र गोदा गुर्जर के नाम दर्ज था। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के मिसल संख्या 213/86 आदेश दिनांक 31.1.87 से उक्त आराजी पुनः रेंवता पुत्र घासी के नाम दर्ज की गयी। विक्रय पत्र की पालना में पूर्व में नामान्तकरण संख्या 109 दिनांक 20.6.2001 ग्राम पंचायत द्वारा वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय खारिज कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र के विरूद्व प्रस्तुत अपील में माननीय न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर ने दिनांक 12.3.03 को आदेश पारित कर तहसीलदार नसीराबाद को रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण का परीक्षण कर पत्र कंमाक/1288 दिनांक 26.5.04 से विक्रय पत्र के अनुसार क्रेतागण के नाम नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी में क्रेतागण के नाम नामानतकरण संख्या 210 दिनांक 27.7.04 से दर्ज की गयीं। इस प्रकरण में स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र क्रय की गयी है। पंजीबद्व विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनोती भी नही दी गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:19:21 IST
Reason: SelfAttested

विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज थी। भू प्रबन्ध विभाग को हाल राजस्व अभिलेख में पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना था। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। उक्त इन्द्राज बिना किसी नामानतकरण व आदेश के होने के करण विधि विरूद्व है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रकरण को केई खण्डन पेश नही किया है। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व अन्य दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में रहन दर्ज है। किन्तु आराजी मुतनाजा का विक्रय पूर्व में हो चुका है। राजस्व अभिलेख में विक्रय पत्र का नामान्तकरण दर्ज नही होने के कारण भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। अतः आराजी मुतनाजा पर बैंक रहन वादीगण के हितो पर निष्प्रभावी है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 934 रकबा 0.33, 935 रकबा 0.22, 936 रकबा 0.10, 937 रकबा 0.17, 938 रकबा 0.24, 939 रकबा 0.37, 1966 रकबा 0.16 व 936/2712 रकबा 0.08 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:19:21 IST
Reason: SelfAttested